

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्नीक, रुद्रप्रयाग, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्नीक, रुद्रप्रयाग, के माह 03/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि. लेखापरीक्षक, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी.के. मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31/05/2018 से 04/06/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री दीपेश कुमार सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 06/03/2017 से 09/03/2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2010 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** छात्र/छात्राओं को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाना। संस्था अलकनंदा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है जिसकी जिला मुख्यालय से दूरी 14 कि.मी. है, निदेशालय श्रीनगर से दूरी 42 कि.मी. है तथा राजधानी से लगभग 200 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:


(₹ लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि. (+)	बचत
		प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	प्रा.शे.	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	71.84	71.81	-	25.16	23.05	2.14	
2	2016-17	-	67.92	67.92	-	25.95	25.44	0.51	
3	2017-18	-	90.21	85.97	-	23.86	23.50	4.61	
4	2018-19 (04/2018 तक)	0	88.05	13.78	-	7.57	0	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (CDTP) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	प्राप्त धनराशि				
	प्रा. शेष	आवंटन	योग	व्यय	बचत
2015-16	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0

- (iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार/भारत सरकार है।
- (iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।
- (v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



- (vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, रुद्रप्रयाग, की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, रुद्रप्रयाग, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।
- (vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 1:- छात्रनिधि खाते से शासनादेश के विरुद्ध ₹ 13,86,195.00 की धनराशि का अनियमित आहरण कर धनराशि का समायोजन न करना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महाविद्यालयों में छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए हैं एवं इस प्रयोजन हेतु महाविद्यालयों में छात्रनिधियां संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार “छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है” एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार “यदि किन्हीं कारणों से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपदरांत शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है”।

छात्र कल्याण निधि नियमावली 2003 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि “The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 (*objective of nidhi- provide financial assistance to student*) and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi.”

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक रुद्रप्रयाग के छात्रनिधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच के उपरान्त पाया गया कि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया जा रहा है। आगे जांच में पाया गया कि भिन्न-भिन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना समिति को प्रस्ताव पारित किए /प्रबंध समिति के अनुमोदन के बिना छात्रनिधि से आहरण किया, जिसमें धनराशि के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था

छात्र निधि खाते से शासनादेश के विपरीत ₹ 144334.00 की धनराशि आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक असमायोजित थी। इकाई द्वारा न इस संबंध में शासन/निदेशालय की अनुमति प्राप्त की, न ही छात्रों की कोष समिति से प्रस्ताव पास कराया। आगे जांच में पाया गया कि आहरित धनराशि का समायोजन 02 वर्षों से भी अधिक समय के लिए ब्याज रहित असमायोजित था, जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध में तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए संप्रेक्षा को अवगत कराया कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त मद की धनराशि का आहरण छात्र निधि खाते से किया। विभाग का उत्तर संप्रेक्षा में मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा आहरण के संबंध में शासनादेश का पालन नहीं किया था। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
2016-17/166	-	01	-
योग	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR No.-166/2016-17 -	-	P-236	इकाई द्वारा उक्त प्रस्तर की बाबत अपनी अनुपालन आख्या मे इस कार्यालय को अवगत कराया है कि संदर्भित प्रस्तर कि अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी कि संस्तुति के उपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्नीक, रुद्रप्रयाग, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री देवेन्द्र गिरि - प्रधानाचार्य	03-11-2012 से 01-08-2017 तक
2.	श्री विकास भट्ट - प्रधानाचार्य	02-08-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्नीक, रुद्रप्रयाग, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.